न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 63/2004 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. रामनिवास पुत्र मूलचन्द जाति अहीर निवासी बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 जसवन्त सिंह पुत्र जगमाल सिंह

2 सतवीर सिंह पुत्र जगमाल सिंह

3 फूलसिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति अहीरान निवासीयान ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

:--- वादीगण रेस्पो0

4 रामेश्वर पुत्र परसराम

5 सोमदत्त पुत्र परसराम

6 धर्मवीर पुत्र परसराम

7 नरेन्द्र पुत्र परसराम जाति अहीरान निवासीयान ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

:--- प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 25.3.2004

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0वादी :- श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 16.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 763/97 बाबत इस्तकरारहक में पारित निर्णय दिनांक 25.3.2004 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा एक बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर वादीगण के पिता जगमालसिंह पुत्र उमराव की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है । उनके बाद वादीगण बहैसियत खातेदार काबिज चले

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आ रहे हैं । परन्तु प्रतिवादीगण के पिता मूलचन्द व परसराम ने राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर 2/3 भाग पर अपने नाम का अंकन बतौर खातेदार करवा लिया । जिसे दुरूस्त किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद डिक्री किया है, जिसकी यह अपील प्रतिवादी रामनिवास ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि पक्षकारान एक ही वंशज नत्थू के वारिसान है । राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पिता को बतौर खातेदार दर्ज किया हुआ है, जिसे तहत अदालत ने नजरअंदाज कर दिया । वादी ने अपने वाद में कब्जे बाबत कोई कथन नहीं किया है । कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है । वादीगण ने सम्वत 2047 में आये इन्द्राज को दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है, जबकि अपीलांट का नाम उससे पूर्व की जमाबन्दी में दर्ज है । अपीलांट ने तहत अदालत में अपने पक्ष में जमाबन्दी सम्वत 2015 प्रस्तुत की थी, जिसका विवेचन तहत अदालत ने नहीं किया । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील वादी रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि सम्पूर्ण हमारे कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसे राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने गलत तौर पर इस आराजी का 2/3 भाग प्रतिवादीगण के पिता के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी गई, जिसे दुरूस्त करवाने के हम अधिकारी है । तहत अदालत ने तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । वादी रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र. में अभिकथन किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि उनके पिता जगमाल सिंह की खातेदारी की थी, जिसका 2/3 भाग राजस्व कर्मचारियों ने गलत तौर पर प्रतिवादीगण के पितागण के नाम दर्ज कर दी । इसके विपरीत विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि शुरू से ही उनके पितागण के नाम रही है । सम्वत 2015 में भी उनका नाम है । उभयपक्षों के कथन के सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । मिलान क्षेत्रफल एग्जिविट- 4 के अनुसार गत खसरा नम्बर 365 मिन रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा से हाल नम्बर 32 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा बनाया गया है । जमाबन्दी सम्वत 2022 एग्जिविट-5 में अन्य आराजीयात के साथ साथ विवादित खसरा नम्बर 32 पर जगमाल पुत्र उमराव को खातेदार दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2015 में अन्य आराजीयात के साथ साथ विवादित खसरा नम्बर 32 पर मूलचन्द, परसराम पिसरान नत्थू हिस्सा 2/3 तथा जगमाल पुत्र उमराव हिस्सा 1/3 कौम अहीर साकिन देह मु0 कदीम का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2047 में आराजी खसरा नम्बर 35 तथा विवादित आराजी खसरा न म्बर 32 पर मूलचन्द परसराम 2/3, जसवन्त, सतवीर,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

फूलसिंह पिसरान जगमाल समभाग 1/3 अहीर साकिन देह खातेदार का अंकन है ।
जमाबन्दी सम्वत 2018 जागीर आय एग्जिविट–2 में अन्य आराजीयात के साथ साथ विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 पर जगमाल को खातेदार दर्ज किया हुआ है ।

6 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि विवादित भूमि सम्वत 2047 से पूर्व वादीगण असल रेस्पों0 के पिता जगमाल की खातेदारी की आराजी थी, जिसके 2/3 भाग पर राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सम्वत 2047 में प्रतिवादीगण के पितागत के नाम दर्ज कर दी, जिसे कि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । बहस के दौरान विद्वान वकील प्रतिवादी अपीलांट ने जमाबन्दी सम्वत 2015 की जमाबन्दी अपने पक्ष में होना बताया है । यह जमाबन्दी तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है, जिस पर एग्जिविट नम्बर डला हुआ नहीं है । फिर भी हमने इस जमाबन्दी का अवलोकन किया तो पाया कि इसमें विवादित भूमि के 2/3 भाग पर प्रतिवादीगण के पितागण तथा 1/3 भाग पर वादीगण के पिता की केवल कब्जा दर्ज है, खातेदारी दर्ज नहीं है। इसके बाद की एवं सम्वत 2047 से पूर्व की जमाबंदियों में प्रतिवादीगण के पितागण का नाम अंकित नहीं है, जबकि इसके विपरीत वादीगण के पिता को खातेदार दर्ज किया हुआ है । अचानक सम्वत 2047 में प्रतिवादीगण के पितागण को 2/3 भाग पर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जिसे कि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । जहां तक अपीलांट प्रतिवादी के इस कथन का प्रश्न है कि विवादित भूमि बाहमी बंटवारे में उनके हिस्से में आई है तो इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि बटवारा सम्बन्धी को दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है । तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय में जो तनकीवार विवेचना की गई है, वह उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.3.2004 यथावत रखे जाते हैं ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार साँखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 63/2004 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :-

1. रामनिवास पुत्र मूलचन्द जाति अहीर निवासी बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

2 जसवन्त सिंह पुत्र जगमाल सिंह

3 सतवीर सिंह पुत्र जगमाल सिंह

4 फूलसिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति अहीरान निवासीयान ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

:--- वादीगण रेस्पो0

5 रामेश्वर पुत्र परसराम

6 सोमदत्त पुत्र परसराम

7 धर्मवीर पुत्र परसराम

8 नरेन्द्र पुत्र परसराम जाति अहीरान निवासीयान ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

:--- प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 25.3.2004

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0वादी :- श्री जनार्दन शर्मा

पर्चा डिक्री

दिनांक 16.03.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.3.2004 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर